उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभांग-।
संख्या-जी-।-।717/दस-534(46)/76
लखनऊ : दिनांक ।8 दिसम्बर, ।986

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-।-354/दस-534(43)76, दिनांक 22 मई, ।982 में यह निदेश जारी किये गये थे कि सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों स्थानीय निकायों तथा विश्वविद्यालयों आदि में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किये जाने पर संबंधित सरकारी सेवकों को अपने पैतृक विभाग में प्राप्त वेतनमान मे समय-समय पर प्राप्त होने वाला वेतन तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा और प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि इसकी अधिकतम सीमा किसी भी समय 250 रुपये प्रतिमाह से अधिक न होगी और अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय और किसी भी दशा में दिनांक । जुलाई, ।979 से पूर्व लागू पुराने वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में रु0 2,450 प्रतिमाह से अधिक न होगा और दिनांक । जुलाई ।979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यह योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा में रुपये 2,700 माह से अधिक न होगा।

2- सार्वजनिक उपक्रमों आदि में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किये जाने पर संबंधित सरकारी सेवक को अपने पैतृक विभाग में दिनांक । जुलाई, ।979 से लागू नये वेतनमान में प्राप्त वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की धनराशि के योग की निर्धारित रुपये 2,700 की सीमा को संशोधित करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि रुपये 2,700/- की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर रुपया 2,850/- कर दिया जाय। अतएव उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मई, ।982 के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों तथा विश्वविद्यालयों आदि में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किये जाने पर सरकारी सेवकों, जो । जुलाई ।979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं, के संबंध में दिनांक 6 नवम्बर, ।986 से मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा में रुपये 2,850 प्रतिमाह से अधिक न होगा।

3- उक्त दिनांक 22 मई, ।982 के कार्यालय ज्ञाप के अनुलग्नक के प्रस्तर-2 की नवीं पंक्ति में "2,700 रुपये" के स्थान पर "2,850 रुपये" पढ़ा जाय। यह संशोधन दिनांक 6 नवम्बर, ।986 से लागू होगा।

सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव, वित्त

सेवा में,

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या जी-।-।7।7(।)/दस-534(46)/76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(।) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।
(2) विधान सभा/परिषद् सचिवालय ।
(3) राज्यपाल सचिवालय ।
(4) शासन के समस्त सचिव तथा विशेष सचिव ।
(5) महालेखाकार ।, ।। एवं ।।। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ ।

आज्ञा से,
राम चन्द्र देवनानी,
अनुसचिव।

संख्या जी-।-।7।7(।।)/दस-534(46)/76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-। को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ सभी सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों आदि को सूचित करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
राम चन्द्र देवनानी,
अनु सचिव।